राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 32/2014

दायर दिनांकः—07.08.2014

पीठासीन अधिकारी—श्री भवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. श्रीमती मानकंवर पत्नी श्री कानसिंह जाति राजपूत उम्र लगभग 58 वर्ष निवासी ग्राम तेजादेवली के पीछे, खारिया मोहल्ला रूपनगढ हाल निवासी कुचामन तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान

——वादिया

बनाम

1. मु. आचुकंवर पत्नी स्व. श्री रामसिंह राजपूत
2. नाबालिग दलपत सिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह
3. नाबालिग किशन सिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह जरिये प्राकृतिक माता आचूकंवर पत्नी स्व. श्री रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रूपनगढ तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
4. दातार सिंह पुत्र स्व. श्री छीतर जाति राजपूत निवासी ग्राम रूपनगढ तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
5. दातार सिंह पुत्र स्व. श्री छीतर जाति राजपूत निवासी ग्राम रूपनगढ तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
6. प्रेमलता पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण(खण्डेलवाल) निवासी महावीर कॉलोनी मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
7. अमित कुमार जैन पुत्र श्री राजकुमार जैन जाति जैन निवासी रूपनगढ
8. अनिता पत्नी श्री समीर कुमार जैन जाति जैन निवासी रूपनगढ।
9. राजकुमार जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन जाति जैन निवासी रूपनगढ।
10. सीमा पत्नी श्री अमित कुमार जैन जाति जैन निवासी रूपनगढ।
11. उप पंजीयक रूपनगढ जिला अजमेर।
12. तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर।

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

निर्णय

दिनांकः—21.02.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादिया पर्दानशीन एवं वरिष्ठ नागरिक महिला है। वादिया के पति एवं उसके ससुराल पक्ष की कृषि भूमि वाके ग्राम मोरडी पटवार हल्का मोरडी भू.अ.नि. हरमाडा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में खसरा संख्या 188 क्षेत्रफल 19—06—00 किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 190 क्षेत्रफल 15—00—00 बारानी तृतीय, खसरा संख्या 191/1 क्षेत्रफल 07—16—00 किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 191/2 क्षेत्रफल 02—17—00 किस्म बारानी तृतीय कुल किता 4 कुल रकबा 44—19—00 की भूमि स्थित है। वादिया का सन् 1977 में ग्राम रूपनगढ निवासी कानसिंह पुत्र श्री छीतर सिंह जाति राजपूत से हिन्दू रिती रिवाज अनुसार विवाह हुआ था और विवाह के तकरीबन 8 माह पश्चात ही वादिया के पति कानसिंह पुत्र श्री छीतरसिंह का निधन हो गया। उपरोक्त खसरान् में वादिया के पति का देहावसान होने के पश्चात एवं वादिया के पर्दानशीन का नाजायज फायदा उठाकर स्व. छीतर सिंह के अन्य वारिसान अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पि[illegible] एवं प्रतिवादी संख्या 4 एवं दातार सिंह ने वादिया की जानकारी के बिना [illegible] कर नामान्तकरण संख्या 19 दिनांक 12.11.1978 विरासत का नामा[illegible] लाऔलाद घोषित कर उनके हिस्से की निहित भूमि को तीनों वारिसान् ने अपने नाम राजस्व रिकॉ[illegible] करवा लिया। जबकि वा[illegible] कानसिंह की जाईन्दा पत्नी मौजूद थी। इस प्रकार स्व. कानसिंह के निहित 1/4 हिस्से का नामान्तकरण वादिया के पक्ष में दर्ज होने के बजाय स्व.छीतरसिंह के शेष तीन वारिसान में दर्ज हो गया जो कि विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.03.22 11:50:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

विरूद्ध है शून्य किये जाने योग्य है। स्व. रामसिंह एवं दातार सिंह द्वारा खसरा संख्या 190, 191/1 एवं 191/2 में अपने निहित 2/3 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 6 को बेचान कर दिया जबकि इस भूमि में वादिया का हिस्सा भी निहित था इसलिए उपरोक्त नामान्तरकरण भी शून्य घोषित किये जाने योग्य है। वादिया के खसरा संख्या 188 में निहित 1/4 हिस्से को जो कि जरिये नामान्तरकरण संख्या 199 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में हक त्याग किया गया जिसमें वादिया का निहित हिस्सा था इसलिए इस नामान्तकरण को भी शून्य घोषित किया जाना आवश्यक है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं प्रतिवादी संख्या 5 ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर नाहरसिंह कई वर्षों से लापता है का हिस्सा अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया जबकि उपरोक्त भूमि में वादिया का हिस्सा भी निहित था इस प्रकार उपरोक्त कार्यवाही वादिया के हक अधिकारों के विपरीत की गई जो प्रारम्भ से ही शून्य योग्य है। प्रतिवादी संख्या 6 ने जरिये नामान्तकरण संख्या 272, 274, 275 वादिया के निहित हिस्से की भूमि खसरा संख्या 190, 191/1, 191/2 को प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 को विधि विरूद्ध तरीके से बेचान कर दिया इस प्रकार वर्तमान में उपरोक्त खातेदारान् का राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार नाम दर्ज किया गया है जबकि उपरोक्त भूमि में वादिया का 1/4 हिस्सा निहित है। खसरा संख्या 188 में जो कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 हिस्सा 2/3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 हिस्सा 1/2 के पक्ष में बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, जो कि वादिया के हक अधिकारों के विपरीत है उपरोक्त भूमि में भी वादिया का 1/4 हिस्सा निहित है। उपरोक्त वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित खसरान की भूमि में वादिया का 1/4 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रभावी प्रावधानों के अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। वाद घोषणात्मक डिकी उपरोक्त खसरान् की भूमि में वादिया के निहित हिस्से 1/4 को अन्य सहखातेदारान् से विभाजित किया जाये, और विभाजित हिस्से के संबंध में प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा को पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है। वादिया के कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग में बाधा कारित न करे। वादिया को उपरोक्त अवैध नामान्तकरणों की जानकारी उसके हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में प्रतिवादीगणों द्वारा व्यवधान कारित करने पर राजस्व रिकार्ड की नकलें 20.05.2013 को प्राप्त करने पर हुई और उसे जानकारी हुई कि उसके पति की भूमि का वादिया के हक अधिकारों के विपरित अन्य भाईयों के पक्ष में नाऔलाद फौत होने के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 ने वादिया एवं उनके रिश्तेदारों को स्पष्ट धमकी दी है कि वे वादिया के निहित हिस्से की भूमि को अन्य व्यक्ति को बेचान करके रहेंगे इसलिए अन्तरण संबंधी दस्तावेज जो प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा प्रभावी रूप से पंजीयत किये जाते है आवश्यक पक्षकार के रूप मे संयोजित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से वाद के आवश्यक पक्षकार है वाद आवश्यक प्रकृति का है इसलिए धारा 80 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों अनुरुप नोटिस दिया जाना असंभव है इसके लिये अलग से प्रार्थना प्रस्तुत किया है। वादिया के हक अधिकारों के विपरित उसे भूमि से वंचित करने के उदेश्य से नामान्तकरण तस्[illegible] है इसलिए मयाद अवधि उपरोक्त प्रकरण में लागू नही होती। वहक वादिया बखिल[illegible] वादग्रस्त भूमि में वादिया का 1/4 हिस्सा बतौर काश्तकार खातेदार घोषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति[illegible] प्रतिवादी संख्या 1से 5 के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5 की ओर से [illegible] पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5 ने अपने जवाब में कथन किया कि कानसिंह का विवाह वर्ष 1977 में वादिया के साथ हुआ था और विवाह पश्चात 8 माह के भीतर ही कानसिंह का देहान्त हो गया। प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद सूचना के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.03.22 11:50:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के सम्मन अदम तामिल प्राप्त किन्तु प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 7 से 10 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में तनकियात कायम की गई। वादिया की ओर से वादी साक्ष्य हेतु शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सिविल प्रकिया संहिता पेश किया गया जिस पर वादिया के बयान लिए गए। वादिया की ओर से प्रकरण में संशोधित वाद पत्र पेश किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है:-

1. आया वादिया स्व. कानसिंह पुत्र छितर सिंह की पत्नी होने से वादअधीन भूमि खसरा नम्बर 188 में कानसिंह के हिस्से की भूमि प्राप्ति की अधिकारी है– चूंकि वादिया कानसिंह की पत्नी है इस कारण कानसिंह के हिस्से की भूमि प्राप्ति की अधिकारी है। अतः उक्त तनकी वादिया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

2. आया वादिया ने नाता विवाह किया हो तो उसे कानसिंह के उत्तराधिकार से वंचित किया जावे– चूंकि वादिया कानसिंह की पत्नी है और नाता विवाह के संबंध में पत्रावली में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अतः वादिया कानसिंह की पत्नी होने से उसे कानसिंह के उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है उक्त तनकी भी वादिया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

3. आया वादिया स्व. कानसिंह के 1/4 हिस्से की भूमि का विभाजन कराने की हकधारिणी है– वादिया द्वारा संसोधित वादपत्र पेश किया है जिसमें नाहर सिंह की सिविल मृत्यु होने एवं दातारसिंह द्वारा पूर्व में हकत्याग कर देने से वादिया द्वारा 1/3 हिस्से की हकधारिणी होने से 1/3 हिस्से की भूमि का विभाजन कराने हकधारिणी है। अतः उक्त तनकी भी वादिया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 1. से 3. वादिया के पक्ष में निर्णित होने से वादिया को ग्राम मोरडी के खसरा नम्बर 188 रकबा 19–06 बीघा भूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिकी जारी की गयी। प्राथमिक डिकी व निर्णय की पालना में तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया। बंटवारा प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की गयी। प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वकील वादी की सहमति एवं प्रतिवादी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने से अंतिम डिकी जारी करने एवं रिकार्ड में निम्नानुसार अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है–

कसं.	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा	किस्म
01	मानकंवर पत्नि कानसिंह जाति राजपूत निवासी तेजा देवली के पीछे, खारिया मोहल्ला , रूपनगढ़ हाल निवासी कुचामन तह0 कुचामन जिला नागौर	188/2	1.0409 है0	बा–3
02	नाहरसिंह पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत हि0 1/2 निवारी रूपनगढ़ आंचूकंवर पत्नि रामसिंह, दलपत [illegible] जरिये संरक्षक माता आंचूकंवर हिस्सा0 1/2 व0हि0व0	188/1	2.0818 है0	बा–3

तदनुसार अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। [illegible] इस निर्णय का भाग होगा।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया [illegible] पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.03.22 11:50:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)